<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 135/2024 (उदयपुर डिक्री)</u>

1. मु. नानीबाई पत्नी स्वर्गीय बाबरिया, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.) **मृतक**

2. भगवानलाल पुत्र स्व. बाबरिया, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

2/1. शंभुलाल पुत्र स्वर्गीय भगवानलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

2/2. कैलाश पुत्र स्वर्गीय भगवानलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

2/3. महेश पुत्र स्वर्गीय भगवानलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

2/4. श्रीमती रेखा पुत्री स्व. भगवानलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

2/5. श्रीमती गंगा पत्नी स्व. भगवानलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

3. मु. गोपीबाई पत्नी रूपलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

4. किशनलाल पुत्र रूपलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

4/1. श्रीमती मंजू पत्नी स्व. किशनलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. कन्हैयालाल पुत्र स्व. किशनलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

4/3. अर्जुन स्व. किशनलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

4/4. मनीषा पुत्री स्व. किशनलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

4/2 से 4/4 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती मंजू पत्नी स्व. किशनलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

5. सुरेश पुत्र रूपलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

6. श्रीमती निर्मला पुत्री रूपलाल, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

7. गणेश पुत्र बाबरिया, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (मृतक) के बजाय :–

7/1. मु. भंवरीबाई पत्नी स्व. गणेश, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

7/2. शिवलाल पुत्र स्व. गणेश, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

7/3. यशवन्त पुत्र स्व. गणेश, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

7/3 जरिये संरक्षक प्राकृतिक माता मु. भंवरीबाई पत्नी स्व. गणेश, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोहन पुत्र भेरा, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
2. उंकार पुत्र भेरा, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती केशी पुत्री बाबरिया, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती लाली पुत्री बाबरिया, जाति रेगर (बोला), निवासी लूणदा, तहसील वल्लभनगर, हाल तहसील कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर, भीण्डर दि0 29.10.2024 प्रकरण संख्या 53/2021

———/———

उपस्थित :– 1– श्री पन्ना लाल मारू अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ललित जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1, 2
3– श्री श्रवण पोखरना अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 3

———::———

निर्णय **दिनांक 16–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (1), (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एक ही खानदान के होकर मूल पुरूष टीला जी के वारिस हैं। टीला जी के दो पुत्र भेरा व बाबरिया हुए। भेरा के दो पुत्र मोहन व उंकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं तथा बाबरिया के वारिस वादी संख्या 1 से 7 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''ख'' वर्णित आराजी नंबर 262 रकबा 2 बीघा एवं 268 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मोहन, उंकार के नाम अंकित है तथा वाद पत्र की कलम संख्या 2 वर्णित आराजी नंबर 49 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा राजस्व अभिलेखों में मोहन व उंकार पिता भेरा के नाम अंकित है, जबकि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की मौरूसी होकर मूल पुरूष टीला जी के समय से चली आ रही हैं, जिससे टीला के दोनों पुत्र भुरा व बाबरिया का बराबर–बराबर हिस्सा होकर इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा बाबरिया के मरणोपरान्त उनके वारिस काबिज चले आ रहे हैं तथा पक्षकारान का हिस्सा वाद पत्र की कलम संख्या 6 अनुसार होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं।

इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' की आराजी नंबर 159 रकबा 9 बिस्वा नाथू पिता परथा 1/2 तथा मोहन, उंकार पिता भेरा 1/2 हिस्सा अंकित है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मौरूस बाबरिया जी का तथा 1/2 हिस्सा मोहन व उंकार का होकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 संयुक्त रूप से काबिज हैं। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मौरूस द्वारा पूर्व खातेदार नाथू जी से क्रय की गयी थी तथा 1/2 हिस्से पर बाबरिया जी के वारिस तथा 1/2 हिस्से पर भेरा जी के वारिस काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता भेरा जी ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर बाबरिया जी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं करवाया, जबकि विवादित भूमि पैत्रृक होकर वादीगण का कब्जा अपने मौरूस बाबरिया जी के समय से चला आ रहा है। वादीगण प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 16 (अ) अनुसार खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायीन निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से खण्डन का जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर उसके साथ उत्तर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। दिनांक 02–05–2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके खण्डन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. पर उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 29–10–2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–11–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ललित जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से अभिभाषक श्री श्रवण पोखरना उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है, जिसका जवाब वादीगण द्वारा दिया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रकिया गया, जिसका विस्तृत उत्तर अपीलान्टगण द्वारा दिया गया है। माननीय न्यायालय ने उक्त मामले को समझे बिना तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया बिना तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखे बिना ही प्रार्थना पत्र के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र ए.आई.आर. 2018 देहली पेज 129 का हवाला देते हुए यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

अंकित कर दिया कि वादी ने अपने वाद में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि सम्पत्ति किस प्रकार हिन्दू परिवार की पैत्रृक भूमि है, जिससे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में प्रचलित विधि को समझा ही नहीं है, क्योंकि वाद के अभिवचनों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/वादीगण द्वारा अपने पिता/दादा स्वर्गीय बाबरिया जी के हिस्से की भूमि की घोषणा चाही गयी है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की भूमि उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान को विरासत से प्राप्त होगी, तो इस प्रकरण में पैत्रृक सम्पत्ति होना अथवा नहीं होना किसी भी स्थिति में आवश्यक विषय वस्तु नहीं थी। वैसे भी वादीगण ने अपने वाद में स्पष्ट वर्णित किया है कि विवादित आराजियात टीला जी के समय से चली आ रही है तथा मौके पर वादीगण का अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान केवल मात्र वादी का वाद ही पढ़ा जा सकता है तथा पठन के दौरान यदि वाद विधि के किसी प्रावधानों के विपरीत है तो ही वाद खारिज किया जा सकता है, जबकि प्रश्नगत प्रकरण में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जिससे वादीगण का वाद उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज योग्य हो। अधीनस्थ न्यायालय में दावा वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र वर्ष 2024 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि उनके द्वारा जबावदावा एवं काउण्टर क्लेम वर्ष 2014 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था। इसलिए जब जवाबदावा व काउण्टर क्लेम पेश हो गया था तो अधीनस्थ न्यायालय को तनकियां कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जो प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें Supreme Court of India का आदेश दिनांक 06-09-2021 Jitendra Singh v/s State of Madhya Pradesh, RBJ (16) 2009 Page 310, CCC VII 2008 (3) Page 16, 2008 CCC 17 (SC) Kamla v/s K.T., 2019 (1) DNJ (Raj) Page 3, 2016 (4) DNJ (Raj) Page 1740, 2016 (4) DNJ (Raj) Page 1612, 2021 (2) RRT Page 1480 (SC), 1999 (1) RLW Page 593 (HC), 2009 (16) RBJ Page 310 (HC),

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

2011 (2) RRT Page 1433, 2011 (2) RRT Page 1395 (HC), 2001 RRD Page 160, AIR 2000 P & H Page 44 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं होती है, वह किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अपीलान्ट/वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है, जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर काश्तकारी कानून में किसी प्रकार की खातेदारी देय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2022-23 (Supp.) Page 176, RRD 2001 Page 175, RBJ 2019 Page 759, RBJ 2002 Page 261, AIR 1977 (SC) Page 2421 प्रस्तुत की।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा वाद दिनांक 27–11–2013 को प्रस्तुत किया गया, जिसके खण्डन का जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 28–05–2014 को प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब वादीगण द्वारा दिनांक 29–09–2014 को प्रस्तुत कर उसके साथ उत्तर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने के करीब 10 वर्ष पश्चात दिनांक 02–05–2024 को आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र इतने विलम्ब से क्यों प्रस्तुत किया यह प्रतिवादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, हालांकि ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई मियाद नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मात्र न्यायिक नजीर ए.आई.आर. देहली पेज 120 का हवाला देते हुए अपने निर्णय में यह अंकित किया कि याचिका में केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि सम्पत्ति हिन्दु परिवार की है। वादी ने अपने वाद में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है कि सम्पत्ति किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रृक भूमि है। उक्त आधार पर वाद कारण उत्पन्न नहीं होना मानते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो वादीगण द्वारा वाद पत्र में उठाये गये अभिवचनों के विपरीत है, क्योंकि वादीगण ने अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested

वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि विवादित भूमि टीला जी के समय से चली आ रही है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा वाद में उठाये गये अभिवचनों एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाबदावा व काउण्टर क्लेम में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर तनकियां कायम की जाकर प्रकरण का निस्तारण साक्ष्यों के आधार पर किया जाना वांछनीय था। जहां तक रेस्पोन्डेन्ट का यह कथन कि वादीगण द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही गयी है जो काश्तकारी कानून में देय नहीं है, किन्तु वादीगण द्वारा वाद मुख्यतः मौरूसी भूमि होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, प्रतिकूल कब्जे का आधार तो विकल्प के रूप में लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उसके अनुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वाद पत्र में उठाये गये किन अभिकथनों के कारण वाद विधि वर्जित है। दावा चल सकता है या नहीं इस बिन्दु का विनिश्चय केवल वाद पत्र के अभिकथनों से ही किया जा सकता है। अगर कोई बिन्दु जवाबदावे में या प्रतिवाद में उठाया गया है तो उस पर तनकी बनायी जाकर तथा उसे साबिक करने का भार प्रतिवादी को दिया जाकर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय ने बिना साक्ष्यों का परीक्षण किये आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2024 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी के जवाबदावे व काउण्टर क्लेम के आधार पर तनकियां कायम कर तथा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर प्रकरण में साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:18:47 IST
Reason: SelfAttested